हिमाचल दिवस पर हार्दिक शुभ कामनाएं

गिरिराज

हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्याः एच.पी./42/एस.एम.एल. 2006 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

15 अप्रैल (हिमाचल दिवस) पर विशेष

वर्ष 30 अंक 29 शिमला, 16–22 अप्रैल, 2008 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 3.00 रुपये वार्षिक 140 रुपये आजीवन 1500 रुपये website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

'समृद्ध एवं विकसित राज्य का संकल्प'

हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व की 60वीं सालगिरह मना रहा है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हाल ही में अपने शासन के 100 दिन पूरे किए हैं। 'गिरिराज' ने प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से इस उपलक्ष्य में तथा उनकी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तृत चर्चा की जिसको हम इस विशेष अंक में पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

गिरिराज : हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व की वर्षगांठ मना रहा है, इस उपलक्ष्य में आप प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?

मुख्य मंत्री : सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के हर वासी को इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद देता हूं। यह प्रदेश निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर देश का समृद्धतम एवं खुशहाल राज्य बने, यहां के लोग फले-फूले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हिमाचल प्रदेश आज जिस शिखर पर पहुंचा है, इसके लिए भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। यह सब उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इस पहाड़ी प्रदेश ने शून्य से अपना सफर शुरू कर आज देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है।

गिरिराज : आपके मन में हिमाचल की क्या तस्वीर है?

मुख्य मंत्री : एक विकसित, समृद्ध, स्वावलम्बी हिमाचल प्रदेश जहां विकास के लिए पर्याप्त साधन हों, रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, लोग अपना जीवन स्वाभिमान से व्यतीत करें और अन्य राज्यों के लिए यह प्रदेश आदर्श बने।

गिरिराज : मुख्य मंत्री का पद दूसरी बार संभालने के बाद आपकी सरकार ने अभी-अभी 100 दिन पूरे किए हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं?

मुख्य मंत्री : इन सौ दिनों का एक सुखद अनुभव रहा है वह इसलिए कि हमने लोगों से चुनाव के समय जो वायदे किए थे, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का नीति दस्तावेज बना कर उसमें किए गए वायदों की पूर्ति की दिशा में हमने एक अच्छी शुरुआत की है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी बुजुर्गों, विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 200 रुपये से तीन सौ रुपये प्रति मास किया है जिससे प्रदेश में 2 लाख 38 हजार पात्र लोग लाभान्वित हुए हैं। दिहाड़ीदार श्रमिकों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की गई है। प्रदेश के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में एकमुश्त इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई है। यहां मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में इससे पहले वृद्धि भी हमारी सरकार ने अपने पिछले शासन काल में की थी और इसे 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह किया था। हमने अपने वायदों के अनुरूप महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल की है और पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित बनाई है। इसके अतिरिक्त भी इस अल्पावधि में हमने युवाओं, किसानों एवं कर्मचारियों के हितों में और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पांच वर्ष की अवधि में हम अपना चुनावी घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। हमने पिछली बार भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वायदे को अक्षरशः लागू किया था।

गिरिराज : आपकी सरकार की इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?

मुख्य मंत्री : पिछले शासन काल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताएं रही हैं और इस बार हमने इन प्राथमिकताओं के साथ-साथ स्वरोजगार, लोगों की संपन्नता और स्वावलम्बन को जोड़ा है। आम आदमी के हितों की रक्षा यानी जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के साथ हम प्रदेश का तीव्र एवं समान विकास सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध है। इसके लिए हम साधनों को सृजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। प्रदेश में उपलब्ध जलविद्युत क्षमता का दोहन किया जाएगा। प्रदेश का औद्योगिक और पर्यटन विकास सुनिश्चित कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हम लोगों को एक पारदर्शी, संवेदनशील एवं कुशल सरकार देने के लिए प्रयासरत हैं।

गिरिराज : आपके मन में प्रदेश के विकास एवं जनहित की जो एक रूपरेखा है, क्या वह प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत सम्भव हो पाएगी?

मुख्य मंत्री : यह बात ठीक है कि आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं। हमें 22 हजार 930 करोड़ रुपये की ऋण देनदारियां विरासत में मिली है। विकास की तस्वीर जो हमारे मन में है, इस वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत इतनी आसान नहीं है। परन्तु हमें इसकी चिन्ता नहीं, हम प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे। अनुत्पादक खर्चों को कम करेंगे। (पृष्ठ चार पर जारी)

अस्तित्व के छः दशक

हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के छः दशक पूरे कर सातवें में प्रवेश कर रहा है। यदि हम इन 60 वर्षों के सफर पर मुड़कर देखें तो मालूम होता है कि प्रदेश ने कई उतार-चढ़ाव पार कर विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह न कर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए आज देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आकर इसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इस बीच इसे कई राजनीतिक एवं प्रशासनिक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। आज यह प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का आदर्श ही नहीं माना जाता, बल्कि इसकी गिनती देश के विकसित राज्यों में होने लगी है। सेब राज्य की ख्याति हासिल होने के बाद अब यह प्रदेश देश का फल राज्य कहलाने लगा है। यही नहीं, अब यह देश का ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। साक्षरता दर एवं प्रति व्यक्ति आय भी देश एवं अन्य प्रदेशों से बेहतर है। कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद भी उद्यमी यहां निवेश करने के इच्छुक हैं। मूलभूत अधोसंरचना में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। छः दशकों में यहां अनेक सरकारें सत्ता में रहीं और सभी ने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया। शैशव अवस्था में इसे ठोस आधार मिला। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश की दूसरी बार बागडोर हाल ही में संभाली है। शासन के गत 100 दिनों में सरकार ने जनहित एवं प्रदेश के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख हैं– शिक्षण संस्थानों में बच्चों को समारोहों एवं स्वागत में भाग लेने के लिए नहीं लाया जाना और हार लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े न होना। ये निर्णय औरों के लिए अनुकरणीय है। इससे जहां स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, वहीं लोग व अधिकारी जो स्वागत के लिए अपना समय गंवाते थे, उसका प्रयोग अब अन्य कामों के लिए होगा। इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। मासिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये करना तथा दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करना भी प्रशंसनीय निर्णय है। इससे उनकी आम आदमी या जन कल्याण के प्रति सोच प्रदर्शित होती है। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। युवाओं, कर्मचारियों, किसानों, बागबानों के हित में भी सरकार ने इस अवधि को कई निर्णय लेकर सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया। आपका अपना गिरिराज साप्ताहिक भी प्रदेश के छः दशकों के जीवन में पिछले तीन दशकों से लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रयास रहता है कि प्रदेश में हो रहे विकास सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जन-जन तक सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचाएं। आओ, हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर हम सब हिमाचलवासी प्रण लें इस प्रदेश को एक आदर्श एवं विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर सहयोग दें।

जय हिन्द ! जय हिमाचल !

बी.डी. शर्मा,
प्रधान सम्पादक

बढ़ते कदम

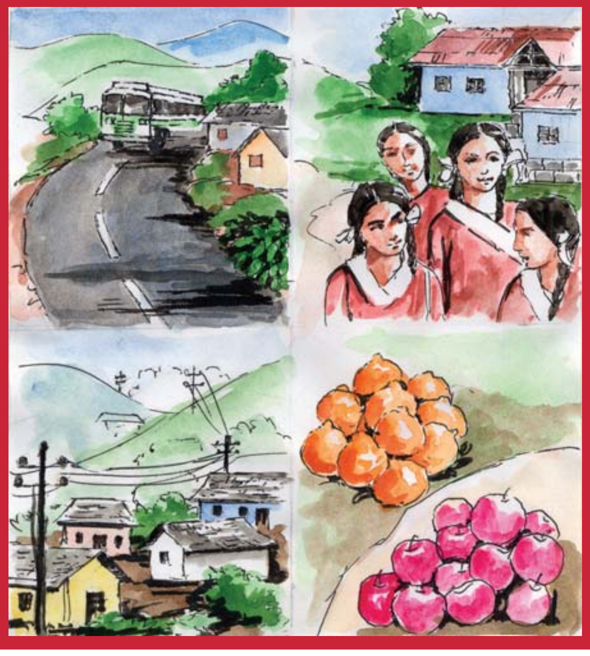

विकास प्रयासों को मानवीय स्वरूप

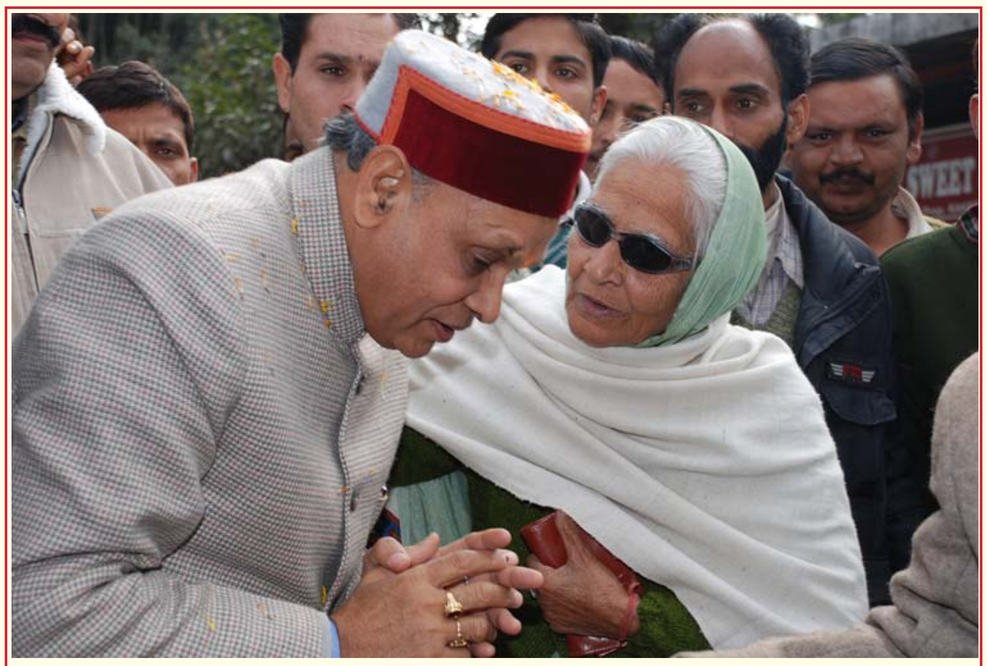

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल लोगों की समस्याओं को सुनते हुए

महिलाओं को विकास के बेहतर अवसर सुनिश्चित हो, उनके सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

✍ नर्बदा कंवर

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बागडोर संभालते ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ जिस क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है वह है सामाजिक सेवा क्षेत्र। समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। इसके प्रति सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने सत्ता संभालते ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी बुजुर्गों, विधवाओं, अपंगों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 200 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये कर दिया है। न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई इस वृद्धि से प्रदेश के 2 लाख 38 हजार परिवार लाभान्वित होंगे तथा इस पर सरकार को 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। पेंशन में की गई वृद्धि को प्रथम जनवरी 2008 से लागू भी कर दिया गया है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 4 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कवर किया जा चुका है। राज्य में इस समय 13,9972 पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, 68455 परित्यक्ता महिलाओं एवं विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 26922 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 1901 कुष्ठ रोगियों को जनवरी, 2008 से पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने महिलाओं को विकास के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी सराहनीय कदम उठाया है उनके लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल समाज में महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान बढ़ेगा बल्कि उन्हें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी मिल सकेगा। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही रक्षा बंधन तथा भैयादूज के दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा देने के साथ महिला कर्मचारियों को इन दोनों त्योहारों पर अवकाश देने का भी निर्णय लिया है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 4 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कवर किया जा चुका है। राज्य में इस समय 13,9972 पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, 68455 परित्यक्ता महिलाओं एवं विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 26922 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 1901 कुष्ठ रोगियों को जनवरी, 2008 से पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए 'मातृशक्ति बीमा योजना' के अंतर्गत मिलने वाली राशि को दोगुना कर दुर्घटना होने पर 50 हजार और अपंगता की स्थिति में 25 हजार रुपये किया गया है। महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में तभी संभव हो सकेगा जब वे आर्थिक रूप से सशक्त तथा स्वतंत्र होंगी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बेरोजगार युवतियों तथा महिलाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने बुनकरों तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए विशेष बीमा योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश भर के लगभग 20,000 बुनकर परिवार लाभान्वित होंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की है जिससे 2.82 लाख बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे। ●●●

युवा एवं कर्मचारी हितों को सुनिश्चित बना रही है सरकार

✍ रीना नेगी

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सत्ता संभालते ही कहा था कि उनकी सरकार लोगों को एक पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सरकार देने के लिए वचनबद्ध है और प्रदेश में विकास की गति को तेज़ कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का लाभ लोगों को मिले। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में उन्होंने कर्मचारियों की भूमिका का उल्लेख भी किया था और कहा था कि उनके हित सुरक्षित रखे जाएंगे। गत 3 महीनों में इस दिशा में सरकार ने कई निर्णय लिये हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाकर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहती है। अभी हाल ही में सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5 फीसदी अंतरिम राहत दी है जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 300 करोड़ रूपए का बोझ पड़ा है। पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरन्त लागू करने की भी मुख्य मंत्री ने बात की है। दैनिक भोगी मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रूपए की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य दैनिकभोगी कर्मियों की दिहाड़ी में भी अनुपातिक वृद्धि की गई है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 13 हजार से अधिक दैनिकभोगियों को भी नियमित किया गया है। न्याय अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि के लिए 'शैट्टी कमीशन' की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित करने की भी बात कही गई है। स्थानान्तरण नीति पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय कमेटी का गठन किया गया है जिसे अपनी सिफारिशें शीघ्र देने का कहा गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए रक्षाबन्धन एवं भैयादूज की छुट्टी देने के साथ-साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन दोनों दिन उनको हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार ने युवा कल्याण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिनमें प्रमुख हैं - तकनीकी एवं व्यावसायिक पदों जैसे, चिकित्सकों, अभियन्ताओं, अध्यापकों के 50 प्रतिशत पद बैच वाईज वरियता के आधार पर और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरना। प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजन करना। इसी वर्ष विभिन्न सरकारी विभागों में 26 हजार पद भरे जाएंगे। प्रदेश के लिए केन्द्र से 3 नई रिजर्ब बटालियनों की स्वीकृति भी हासिल की है जिनमें 3 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लग रहे नए उद्योगों, विद्युत परियोजनाओं इत्यादि में भी सरकार 70 प्रतिशत पद हिमाचलियों के लिए सुनिश्चित बना रही है। इस छोटी सी अवधि में सरकार कर्मचारियों एवं युवाओं के हित में यह सब निर्णय यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं युवाओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है।

युवा कल्याण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। तकनीकी एवं व्यावसायिक पदों जैसे, चिकित्सकों, अभियन्ताओं, अध्यापकों के 50 प्रतिशत पद बैचवाइज वरीयता के आधार पर और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया गया है।

महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने लिए

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक जनवरी, 2008 से 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की। 2.38 लाख पात्र लाभान्वित।
- दैनिकभोगी मजदूरों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये की। 5 लाख परिवार लाभान्वित।
- लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के 10 वर्ष पूरा कर चुके 13 हजार से अधिक दिहाड़ीदार नियमित किए गए।
- पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
- व्यावसायिक एवं तकनीकी श्रेणी के 50 प्रतिशत पद बैच की वरीयता के आधार पर भरने का निर्णय।
- बुनकरों के लिए विशेष बीमा योजना। 20 हजार गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।
- गरीब लोगों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना। 2 लाख 82 हजार परिवार लाभान्वित।
- किसानों को फसल बीमा योजना के प्रीमियम का 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन करना।
- मातृशक्ति बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली राशि मृत्यु हो जाने पर 50 हजार रुपये तथा अपंगता पर 25 हजार रुपये की।
- नींबू प्रजाति फलों यानी संतरा, किन्नू, माल्टा, गलगल के समर्थन मूल्य में वृद्धि।
- सड़कों से वंचित सभी पंचायतों एवं 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को अगले वर्ष तक सड़क सुविधा से जोड़ना।
- कृषकों को एक लाख मिट्टी परीक्षण कार्ड दिए जाने का निर्णय।

कृषि विविधता के माध्यम से स्वरोजगार

कृषि एवं सिंचाई पर इस वर्ष 548 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादन में विविधता लाकर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ की जाएगी

✍ वेद प्रकाश

कृषि प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का लगभग 20 प्रतिशत का योगदान है। प्रदेश का अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय एवं पहाड़ी होने के कारण राज्य के कुल 55673 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 9.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही कृषि योग्य है, जिसमें से इस समय 5.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खेती की जा रही है जिसके 36 प्रतिशत को ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के लिए 548.13 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय का प्रावधान रखा है जबकि ग्रामीण विकास के लिए 116.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को कुल मिलाकर 664.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि वार्षिक योजना का 28 प्रतिशत है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए विशेष ध्यान दिया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो और उन्हें जीवनयापन के बेहतर अवसर मिले। राज्य की अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा के अधीन लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग राज्य के प्रत्येक ज़िले के लिए मौजूदा कृषि क्षेत्र व सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत ज़िला कृषि एवं सिंचाई योजनाएं तैयार करेगा। ग्रामीण विकास विभाग तथा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार की जाने वाली इन कृषि एवं सिंचाई योजनाओं के लिए नाबार्ड से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग लिया जाएगा जिसके तहत आगामी पांच वर्षों के दौरान अधिकतम कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में कृषि, वन, ग्रामीण विकास तथा सिंचाई विभागों द्वारा वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि 'प्रवाह सिंचाई' को बढ़ावा दिया जा सके जिससे उठाऊ जल सिंचाई योजनाओं पर आने वाले अत्यधिक बिजली के खर्च को भी कम किया जा सकेगा। इसी तरह 'फुव्वारा व टपक' जैसे सिंचाई के नए साधनों को भी अपनाया जा रहा है क्योंकि सिंचाई की ऐसी प्रणालियों में पानी की बहुत ही कम खपत होती है।

प्रदेश में कृषि भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए निःशुल्क मिट्टी जांच सुविधा आरम्भ की गई है ताकि किसानों को उत्तम कृषि पद्धति द्वारा फ्लो, बे मौसमी सब्जी उत्पादन तथा औषधीय पौधों की खेती बारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय पर उचित सलाह दी जा सके। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि विभाग किसानों को एक लाख 'मिट्टी परीक्षण कार्ड' जारी करेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाए जाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध ढंग से प्रदेश के सभी किसानों को 'किसान पास बुक' की तर्ज पर 'मिट्टी परीक्षण कार्ड' जारी किये जाएंगे। किसानों को समय पर उत्तम श्रेणी के बीज, खाद, तकनीकी सहयोग, कृषि बाजार की जानकारी तथा विपणन सुविधाओं बारे बताने के लिए कृषि एवं बागबानी विभाग मिलकर वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रदेश में कृषि एवं बागबानी विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास अधिकारियों एवं विस्तार अधिकारियों के 300 पद भरे जाएंगे।

किसानों को राज्य से बाहर कृषि एवं बागबानी उत्पादन बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए हि.प्र. कृषि विपणन बोर्ड मार्किट यार्ड स्थापित करेगा ताकि वहां थोक व्यापारियों को आकर्षित किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ राज्य के दस ज़िलों (किन्नौर एवं लाहुल स्पीति को छोड़कर) में डेयरी विकास कार्यक्रम चला रहा है। हिमफैड में गठित 490 समितियों के लगभग 24,006 सदस्य है जिनके माध्यम से लगभग 100 लाख लीटर दूध प्रति वर्ष एकत्रित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला स्वयं सहायता समूह तथा गुज्जर आदि वर्ग जुड़े हुए हैं। सरकार ने ऐसे लोगों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिल्कफैड द्वारा दूध उत्पादकों के लिए दो रुपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि करने के लिए 9 करोड़ रुपये का उपदान देने का निर्णय लिया है जिससे सरकारी अभियान के अन्तर्गत कम से कम एक दुग्ध उत्पादक परिवार लाभान्वित होंगे। पशुपालन विभाग सहकार अभियान के लिए पशुधन तथा दूध उत्पादन तकनीक सुधार के क्षेत्र में कारगर प्रयास कर रहा है जिसके लिए दुधारू पशु नस्ल सुधार सोसायटियों का सहयोग लिया जाएगा। ●

नकदी फसलों को बढ़ावा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास एवं जन कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी ज़िलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अप्रैल से आरम्भ की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित होगा। वन विभाग द्वारा प्रदेश की 600 पंचायतों में चलाई जाने वाली मिड हिमालयन वनीकरण योजना को रोजगार गारंटी योजना के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि इन पंचायतों के किसानों को इसका लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1081 ग्राम रोजगार सेवकों को नियुक्त किया जाएगा ताकि तीन पंचायतों के लिए कम से कम एक सेवक उपलब्ध हो सके। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल बजट प्रावधान में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 130-94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ऊर्जा दोहन खोलेगा आर्थिक संपन्नता के द्वार

✍ जया चौहान

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही जनहित के साथ साधनों के सृजन की दिशा में प्रभावी कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं जिसके लिए विद्युत उत्पादन औद्योगिक एवं पर्यटन विकास जिसमें प्रदेश को आय एवं लोगों को रोजगार की अपार संभावनाएं हैं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं के दृष्टिगत इसके तीव्र दोहन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस ऊर्जा विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इस समय 20564 मेगावाट जलविद्युत क्षमता का चिन्हांकन हो चुका है जिसमें से अभी तक केवल 6393 मेगावाट का ही दोहन हो पाया है। 5951 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। तथा सरकार ने 8220 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं के शीघ्र आवंटन के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस क्षमता का तीव्र दोहन करने के लिए ऊर्जा निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। उपलब्ध क्षमता के तीव्र दोहन के लिए निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र को सम्बद्ध करने का निर्णय लिया है। विद्युत उत्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। सत्ता में आने के बाद जलविद्युत उत्पादन में तेजी लाने के लिए गत दिनों प्रदेश सरकार ने 583 मेगावाट क्षमता की 18 जलविद्युत परियोजनाओं पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त 17 लघु जलविद्युत परियोजनाओं जिनकी क्षमता 52 मेगावाट के लिए सहमति ज्ञापन तथा तीन परियोजनाओं के लिए जिनकी उत्पादन क्षमता 12 मेगावाट के लिए अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में मंत्रिमण्डल द्वारा 340 मेगावाट की दो बिजली परियोजनाओं को लगाने के लिए निजी क्षेत्र में एग्रीमेंट करने और 60 मेगावाट की एक अन्य परियोजना के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने को मंज़ूरी दी गई है। वर्ष 2012 तक 12 हजार मेगावाट जलविद्युत दोहन का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास के पीछे सरकार का प्रयास है कि यहां लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और प्रदेश को अच्छी आय प्राप्त हो। गत दिनों सरकार द्वारा 973.82 करोड़ रुपये निवेश की 13 नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 2631 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त 692 करोड़ निवेश के पांच विस्तार प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई जिसमें 1783 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में 4782 करोड़ के निवेश के छः सीमेंट उद्योग स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि युवाओं तथा लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियां सृजित करना उसकी प्राथमिकता है जिसके लिए प्रदेश में निवेश एवं पर्यावरण मित्र उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर आय अर्जित करे के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जा रहा है। पर्यटन से लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। सरकार का प्रयास है कि 300 करोड़ के विदेशी निवेश को भी इस क्षेत्र में आकर्षित किया जाए जिसके माध्यम से विभिन्न पर्यटक सर्किटों का विकास किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण एवं इको पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन विकास में केवल ग्रामीण लोगों को सम्बद्ध किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान किए जा सकें। ऊर्जा दोहन, तीव्र औद्योगिक एवं पर्यटन विकास के माध्यम से जहां प्रदेश को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाया जा सकता है वहीं यह रोजगार सृजन के भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही इन तीनों क्षेत्रों के तीव्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। हिमाचल ने जहां देश में फल राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वहीं वह दिन भी दूर नहीं जब प्रदेश ऊर्जा राज्य, उद्योग राज्य एवं पर्यटन राज्य के रूप में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ख्याति अर्जित करेगा। ●●●

ऊर्जा क्षेत्र में एक और मील पत्थर : मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जिला मंडी के पटीकरी में 16 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का लोकार्पण करते हुए

'जनहित के साथ प्रदेश का तीव्र एवं समान विकास'

समाज का कमजोर, गरीब एवं संवेदनशील वर्ग अपना जीवन-यापन सम्मान से करे, यह हमारा प्रयास है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि की है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि को दोगुना किया है। बुनकरों के लिए विशेष बीमा योजना आरम्भ करने का निर्णय।

धन की कमी को विकास के रास्ते में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। हम केन्द्र से भी प्रदेश हितों के मामले प्रभावी ढंग से उठा कर अपना संवैधानिक हक लेंगे। इस वर्ष की वार्षिक योजना 2400 करोड़ की स्वीकृत करवा कर हमने इसमें 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। विशेष योजना सहायता अनुदान राशि में 108 करोड़ रुपये की वृद्धि करवाने में सफल हुए हैं। इसके अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 450 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो गत वर्ष के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है। पड़ोसी राज्यों से मिल कर हम प्रदेश हित के मामले सुलझाएंगे और इनसे होने वाली प्रदेश की आय को सुनिश्चित करेंगे।

प्रदेश की आर्थिक समृद्धि यहां उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के तीव्र दोहन पर निर्भर है। प्रदेश में इस समय लगभग 21 हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता का चिन्हांकन हुआ है जिसमें से केवल 6393 मेगावाट का ही दोहन हो पाया है। हमने निर्णय लिया है कि इस क्षमता का तेजी से दोहन किया जाए और इसमें निजी, संयुक्त, सार्वजनिक क्षेत्र को सम्बद्ध किया जाए। हमने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पांच मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा आवंटित करने का निर्णय लिया है। विद्युत क्षमता का तीव्र दोहन सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा निदेशालय स्थापित किया जा रहा है। हम औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले शासन काल में हम केन्द्र सरकार से वर्ष 2013 तक विशेष औद्योगिक पैकेज हासिल करने में सफल हुए थे परन्तु मौजूदा केन्द्र सरकार ने इसे 2010 तक कम कर दिया है। हम इस मामले को केन्द्र सरकार से पुन: उठाएंगे। इसी तरह हम पर्यटन विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए विभिन्न पर्यटक सर्किट विकसित किए जाएंगे। पर्यटन विकास में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में हवाई एवं रेल सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस वर्ष हमने भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए बजट में 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है क्योंकि इसका निर्माण प्रदेश सरकार की भागीदारी से होना है।

गिरिराज : जनहित आपकी प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्य मंत्री : समाज का कमजोर, गरीब एवं संवेदनशील वर्ग अपना जीवन यापन सम्मान से करे, यह हमारा प्रयास है जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि की है और भी अनेक कदम उठाए हैं जो इस दिशा में एक सार्थक पहल है। इनमें प्रमुख है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि को दोगुना करना, इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने की दशा में इस राशि को बढ़ा कर 50 हजार रुपये किया गया है और अपंगता की स्थिति में 25 हजार रुपये। बुनकरों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम अप्रैल से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वित की गई है जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का स्वरोजगार सुनिश्चित होगा। गरीब लोगों को राशन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो, इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गिरिराज : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रदेश को हिस्सा मिलना चाहिए था, वह प्राप्त नहीं हुआ। आप इस दिशा में क्या करेंगे?

मुख्य मंत्री : यह सच है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश को जो 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। इसके लिए प्रयास होने चाहिए परन्तु पूर्व प्रदेश सरकार इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गई है जिससे यह पेचीदा सा हो गया है। हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे और प्रदेश के हित सुनिश्चित करेंगे। हम पंजाब सरकार से भी व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को उठाएंगे। अभी हाल ही में मेरी पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ बैठक हुई है जिसमें हमने इस बात को दोहराया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक अंतरराज्यीय मामलों के समाधान के बारे में बातचीत हुई है और कई मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं चंडीगढ़-बद्दी सड़क का निर्माण वर्ष 2009 तक पूरा करने को सैद्धांतिक सहमति, मोहाली में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बद्दी के साथ सड़क मार्ग से जोड़ना, चण्डीगढ़ को बद्दी वाया हवाई पट्टी जो पिंजौर के पास है, के साथ जोड़ने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब तथा श्री नैनादेवी जी को रज्जू मार्ग से जोड़ने की भी सैद्धांतिक सहमति हुई है।

गिरिराज : ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?

मुख्य मंत्री : किसानों एवं बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ कर विकास प्रक्रिया तेज करना। किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए हमने गत तीन महीनों में एक अच्छी शुरुआत की है। किसानों की उपज में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मिट्टी परीक्षण यानी (सॉयल टेस्टिंग) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष किसानों को एक लाख मिट्टी परिक्षण कार्ड जारी किए जाएंगे और अगले पांच वर्षों में सभी किसानों को यह कार्ड जारी करने की योजना है। किसानों को पैदावार तकनीकी की जानकारी मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने इस वर्ष 300 से अधिक कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारियों के पदों को भरने की योजना बनाई है। कृषि विपणन बोर्ड एवं मार्किटिंग यार्ड स्थापित कर किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित बनाया जाएगा। हमने खैर के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का भी निर्णय लिया है। सिंचाई के अधीन अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाएगा। अभी तक निर्मित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिलावार योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि ये परियोजनाएं वास्तव में संचालित हों। इसके अलावा कृषि विभाग प्रत्येक जिले के लिए मौजूद सिंचाई सुविधाओं को देखते हुए विस्तृत जिला कृषि केन्द्र एवं सिंचाई योजनाएं तैयार करेगा ताकि अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध निवेश द्वारा सिंचित क्षेत्र दोगुना हो सके। इस वर्ष कृषि एवं सिंचाई के लिए 548 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय प्रस्तावित है। सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में – कृषि बीमा योजना में 50 फीसदी प्रीमियम सरकार द्वारा स्वयं वहन करने के फैसले के तहत जिससे गरीब किसानों को लाभ होगा। फल उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने किन्नू, मालटा, संतरा एवं गलगल इत्यादि के समर्थन मूल्यों में 50 पैसे की वृद्धि का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2009 तक उन सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी जनसंख्या पांच सौ से अधिक है, उसके उपरांत उन सभी गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है। प्रदेश की 3245 में से 460 पंचायतें अभी ऐसी हैं जिनमें सड़क की सुविधा नहीं है। हमने अगले वित्त वर्ष में इन सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना को हमने पुन: आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गिरिराज : बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में क्या योजना है?

मुख्य मंत्री : हम सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। प्रदेश में स्थापित हो रही विद्युत परियोजनाओं, उद्योगों एवं पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अधिकाधिक रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। हमने सत्ता में आते ही एलोपैथ, आयुर्वेद तथा पशु चिकित्सकों, अभियन्ताओं, अध्यापकों और अन्य तकनीकी प्रशिक्षित पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती बैच के आधार पर, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। प्रदेश में 26 हजार रोजगार के नए अवसर केवल सरकारी क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगे। इनमें प्रमुख है। 18000 शिक्षकों के पद, 250 चिकित्सकों, 1000 नर्सों व पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद, 1081 ग्राम रोजगार सेवकों के पद, 260 पंचायत सचिवों के पद, 300 से अधिक कृषि तथा उद्यान विभाग में विकास अधिकारियों के पदों को भरना। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्रदेश के लिए तीन इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत करवाई गई जिसमें 3000 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को भी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित होगा। अब यह प्रदेश के सभी जिलों में शुरू कर दी गई है।

गिरिराज : कर्मचारियों के प्रदेश के विकास में अहम भूमिका रही है। कर्मचारी कल्याण की दिशा में आपकी क्या योजना है?

मुख्य मंत्री : प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हमारे सदैव मधुर सम्बन्ध रहे हैं। पिछले शासन काल के दौरान कर्मचारी कल्याण की दिशा में हमने अनेक कदम उठाए थे और हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदेश के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए थे। इस बार भी हमने कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अंतरिम राहत दी है जिस से लगभग 300 करोड़ रुपये का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है। हम पंजाब वेतन आयोग द्वारा जब भी संशोधित वेतनमान की सिफारिशें की जाएंगी, उसको देने के लिए भी वचनबद्ध हैं। हमने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपये की वृद्धि की है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभागों में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 13205 दिहाड़ीदारों को नियमित किया है। महिला कर्मियों को रक्षा बंधन तथा भैयादूज पर अवकाश घोषित करने के अलावा उनको इन दोनों दिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी है। कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति, लोक निर्माण मंत्री श्री गुलाब सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में का गठित की गई है जो अपनी सिफारिशें शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत करेगी।

गिरिराज : आप प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?

मुख्य मंत्री : आओ हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने के लिए राजनीतिक एवं अन्य सभी विचारधाराओं से ऊपर उठकर अपना योगदान दें।